संख्या- 117/2016/4078/71-2-16-पी-35/2015

प्रेषक,

अरिन्दम भट्टाचार्य,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
एस0जी0पी0जी0आई0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 26 सितम्बर, 2016

विषयः- एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ द्वारा लिये गये ऋण की शासकीय प्रत्याभूति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-116/2016/3530/71-2-16-पी-35/2015 दिनांक 26 सितम्बर, 2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में विभिन्न चिकित्सकीय सुविधाओं की स्थापना हेतु व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 02.06.2016 में रू0 570.32 करोड़ की अनुमोदित लागत के जो कार्य अनुमोदित किये गये है उनके वित्त पोषण हेतु स्टेट बैंक आफ इण्डिया से रू0 473.00 करोड़ के सावधिक ऋण प्राप्त किये जाने हेतु एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ के पक्ष में निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती हैः-

1. प्रस्तावित निर्माण कार्यो के सम्बन्ध में आगणन-परीक्षण, मूल्यांकन एवं प्रशासनिक स्वीकृति वित्त् विभाग के सुसंगत नियमों के अनुसार करायी जाएगी।
2. प्रस्तावित उपकरणों का क्रय प्रतिस्पर्धा के आधार पर खुली निविदा के आधार पर किया जाएगा।
3. वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 22.03.2016 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
4. प्रस्तावित निर्माण कार्यों में धनराशि अवमुक्त करते समय निदेशक, संस्थान द्वारा वित्त विभाग के समस्त संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
5. शासी निकाय के निर्णयानुसार संस्थान द्वारा उक्त ऋण से सृजित परिसम्पत्तियों के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित करने के समस्त प्रयास किये जायेंगे।
6. निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ के पत्र संख्या-10011/पी0जी0आई0/निदे;/कैम्प/2016, दिनांक 25.07.2016 में उल्लिखित शर्तों/प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. परियोजना की प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी आदेश पृथक से निर्गत किए जाएगे।

भवदीय,

(अरिन्दम भट्टाचार्य)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-117/2016/4078(1)/71-2-16-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2. कोषाधिकारी, लखनऊ ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
5. वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
6. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0रा0नि0नि0लि0, लखनऊ।
8. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।